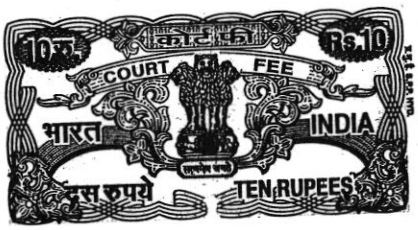

<u>न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल केम्प सागर</u>

नि. 2087-I-16

फर्म अशोक कुमार मणिभाई पटेल एण्ड कम्पनी सागर

द्वारा - अशोक भाई पटेल वल्द मणि भाई

साकिन कल्पना भवन, सुभाष नगर वार्ड, सागर

.............पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

किशोर समिति

द्वारा - सीताराम उर्फ सुनील पटेल वल्द स्व. लल्लूभाई पटेल

साकिन राधेश्याम भवन, सुभाष नगर वार्ड, सागर

.... उत्तरवादी

<u>पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू राजस्व संहिता १९५९।</u>

पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सागर तहसील सागर जिला सागर द्वारा राजस्व प्र.क्र. ४३ अ/७०/२०१४ - २०१५ ग्राम ललई टौरी सागर तहसील व जिला सागर में पारित आदेश दिनांक २४/०५/२०१६ से दुःखित होकर नीचे लिखे तथ्यों के अतिरिक्त आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

<u>पुनरीक्षण के आधार</u>

१. यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सागर का आलोच्य आदेश सर्वथा गलत व विधि विपरीत है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है ।

२ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है कि उत्तरदाता ने जो आवेदन पत्र अंतर्गत धारा १० व्य.प्र.सं. प्रस्तुत किया है उसमें उत्तरदाता का यह कहीं भी कहना नहीं रहा है कि उसके द्वारा नामान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है बल्कि उत्तरदाता का यह कहना रहा है कि मेसर्स लल्लूभाई बी पटेल एण्ड कम्पनी ने नामान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । उक्त कारण से प्रकरण में धारा १० व्य.प्र.सं. के प्रावधान लागू नहीं होता है ।

३. यह कि विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार सागर ने धारा १० व्य.प्र.सं. का भी अध्ययन नहीं किया

R 2087-I/16

मिसल साथ।

22-1-18

आवेदक: अभि० श्री सिविल जायसवाल उपस्थित। आवेदक अभि० के निवेदन पर प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

प्र० सदस्य

बल नहीं देना। (Not Press)

22/1/18